



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042023-245498
CG-DL-E-27042023-245498

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1861]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2023/वैशाख 7, 1945

No. 1861]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2023/VAISAKHA 7, 1945

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2023

का.आ. 1949(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अपर जिलाधिकारी/भूमि अर्जन, संयुक्त संगठन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार निर्दिष्ट किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की रूपरेखा और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला : गाजियाबाद

क्र.सं.	ग्राम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (है. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	किल्होडा	733	0.0175
		734	0.0055
		973	0.0090
		787	0.0145
		786	0.0145
		785	0.0040
		784	0.0050
		783	0.0055
		782	0.0015
2	युसुफपुर ईसापुर	68	0.0768
		67	0.0510
		66	0.0246
		56	0.0030
		58	0.0102
		59	0.0040
		61	0.0255
3	भदौला	333	0.0088
4	पलौता	331	0.0020
		330	0.0030
		253	0.0020
		254	0.0028
		252	0.0173
		309	0.0012
5	भटजन	522	0.0174
6	शकूरपुर	84	0.0165
		179	0.0030
		175	0.0068
		178	0.0050
		172/1	0.0051
		161	0.0066
7	सैदपुर हुसैनपुर डीलना	774	0.0083
		345	0.0066
		346	0.0052
		347	0.0070

[फा. सं. 2023/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2398]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2023

S.O. 1949(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Ghaziabad in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Additional Divisional Magistrate/ Land Acquisition, Joint Organization, Ghaziabad, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Ghaziabad in the State of Uttar Pradesh.

District: Ghaziabad

Sl. No.	Name of the Village	Plot No.	Area (in Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kilhoda	733	0.0175
		734	0.0055
		973	0.0090
		787	0.0145
		786	0.0145
		785	0.0040
		784	0.0050
		783	0.0055
		782	0.0015
2	Yusufpur Isapur	68	0.0768
		67	0.0510
		66	0.0246
		56	0.0030
		58	0.0102
		59	0.0040
		61	0.0255
3	Bhadaula	333	0.0088
4	Palota	331	0.0020
		330	0.0030

		253	0.0020
		254	0.0028
		252	0.0173
		309	0.0012
5	Bhatjan	522	0.0174
6	Shakoorpur	84	0.0165
		179	0.0030
		175	0.0068
		178	0.0050
		172/1	0.0051
		161	0.0066
7	Saidpur Husainpur Dilna	774	0.0083
		345	0.0066
		346	0.0052
		347	0.0070

[F. No. 2023/LML-II/12/2/EC/2398]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)